मौलाना आज़ाद और समकालीन सन्दर्भ

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
निबंध–प्रतियोगिता

(पुरस्कृत निबंध 1997-98)

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

मौलाना आज़ाद और समकालीन सदर्भ

प्रकाशक:
हिमाचल सोम
महानिदेशक
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्
आज़ाद भवन
इन्द्रप्रस्थ स्टेट्स
नई दिल्ली-110002

मुद्रक:
इन्द्रप्रस्थ प्रेस (सी.बी.टी.)
नेहरू हाउस
4, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग,
नई दिल्ली-110002

प्रकाशकीय

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत की आज़ादी के प्रमुख शिल्पकारों में से एक और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अपनी इस्लामी विद्वता और तुलनात्मक धर्म की गूढ़ समझ से भारतीय राज्यव्यवस्था को संपन्न करते हुए उन्होंने हमारी बहुआयामी संस्कृति का सार प्रस्तुत किया था। वे एक साथ सांसारिक संबंधों की कल्पना भी आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में भारत की नियति की स्पष्ट समझ के साथ करते थे।

भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में एक शिक्षा नीति प्रारूप की स्थापना से उन्होंने उस दृष्टि की नींव रखने का आदर्श अवसर प्राप्त किया जो राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकताओं और चुनौतियों के प्रति उत्तरदायी था। उन्होंने बड़ी संख्या में संस्थानों की स्थापना में कारगर भूमिका निभाई जिनसे वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक अनुसंधान का संवर्धन और विकास हुआ। यदि दुनिया के सामने आज भारतीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां नजर आती हैं तो यह बहुत हद तक मौलाना की दूर-दृष्टि के कारण है। संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने जो तीन अकादमियां स्थापित की थीं, वे प्रदर्शन कला (संगीत नाटक अकादमी), साहित्य (साहित्य अकादमी) एवं ललित कला (ललित कला अकादमी) से जुड़ी हैं और हमारे देश के सांस्कृतिक लोकाचार के अनुरूप सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। एक अन्य क्षेत्र जिसमें मौलाना ने स्थाई योगदान किया था, वह है—अन्य राष्ट्रों से सांस्कृतिक संबंध। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आई.सी.सी.आर.) जो इस वर्ष अप्रैल में अपनी पचासवीं वर्षगांठ मना रहा है, उनकी व्यक्तिगत पहल से स्थापित हुआ था।

मौलाना आज़ाद वार्षिक निबंध प्रतियोगिता की 1989 में शुरुआत भारत के इस महान् सपूत और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के संस्थापक अध्यक्ष के अनोखे योगदान को जीवित रखने के उद्देश्य से की

गई थी। अनेक वर्षों से इस निबंध प्रतियोगिता ने भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के युवा नागरिकों के लक्षित समूह में एक स्वस्थ मानसिकता पैदा की है। मौलाना के उन प्रिय विषयों पर हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में प्रविष्टियां मांगी जाती हैं, जो सतत रूप से प्रासंगिक बने हुए हैं।

इस वर्ष, जिसमें एक नयी सहस्राब्दी का उदय हो रहा है और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की स्थापना की पचासवीं वर्षगांठ का स्मरणोत्सव मनाया जा रहा है, मुझे 1997-98 की निबंध प्रतियोगिता के पुरस्कृत निबंधों से युक्त यह विशेष खंड प्रकाशित करते हुए अपार हर्ष महसूस हो रहा है। मैं उन सभी युवा प्रतियोगियों और निर्णायकों की भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध नागरिकों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिनके अथक प्रयासों के प्रतिफल के रूप में यह खंड सामने है।

(हिमाचल सोम)

महानिदेशक

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्



मौलाना आज़ाद निबंध-प्रतियोगिता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

जब तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हुमायूं कबीर ने 11 मार्च, 1958 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की पाण्डुलिपि "इंडिया विंस फ्रीडम" भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् को सौंपी तो उन्होंने अनुरोध किया था कि इसके प्रकाशन से होने वाली आय से "मौलाना आज़ाद पुरस्कार कोष" की स्थापना की जाए और उससे प्राप्त ब्याज का उपयोग दो पुरस्कारों वाले वार्षिक एवार्ड के लिए किया जाए, जिनमें से एक, गैर-मुस्लिम भारतीय नागरिक द्वारा अंग्रेजी में इस्लाम पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ निबंध हो और दूसरा, किसी भारतीय मुस्लिम नागरिक द्वारा अंग्रेजी में हिन्दुत्व पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ निबंध हो। इन साधारण शुरुआतों की बदौलत, आज हमारे पास मौलाना आज़ाद निबंध प्रतियोगिता है। परिषद् ने 1989 से निबंध प्रतियोगिता आरंभ की थी, जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के संस्थापक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का शताब्दी वर्ष था।

यह प्रतियोगिता भारत एवं सार्क देशों के तीस वर्ष से कम आयु के नागरिकों के लिए है। निबंध के विषय साधारणतः मौलाना आज़ाद के जीवन, उनकी सोच और विचारधारा से जुड़े होते हैं। पुरस्कार में नक़द एवार्ड और प्रतीक चिन्ह शामिल है। ये पुरस्कार परिषद् द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह में किसी अति विशिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रदान किये जाते हैं। 1997-98 के लिए हुई निबंध प्रतियोगिता में 12 पुरस्कार विजेता हैं, जिनमें से दो नेपाल के हैं।

1990 से प्रतियोगिता को एक समान विषय पर तीन भाषाओं हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी में आयोजित करने का निर्णय किया गया।

1994-95 से प्रतियोगिता में आंशिक परिवर्तन किया गया है और तीनों भाषाओं में भिन्न विषय रखे जाते हैं।

1997-98 की निबंध प्रतियोगिता के लिए तीनों भाषाओं में विषय इस प्रकार थे:

हिन्दी : मौलाना आज़ाद और समकालीन संदर्भ

उर्दू : मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आज के मसले

अंग्रेजी : दी रोल ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर इन डेवलपमेंट

निर्णायक मण्डल के सदस्यों की सूची

श्री कन्हैयालाल नंदन

श्रीमती चित्रा मुदगल

श्री राजेन्द्र अवस्थी

अनुक्रम

मौलाना आज़ाद और समकालीन संदर्भ

मौलाना आज़ाद और समकालीन संदर्भ

कैप्टन गोपेन्द्र सिंह राठौड़

एक सौ पचास वर्ष के अंग्रेजी शासन के उपरान्त जब भारत स्वतंत्र हुआ तो चर्चिल ने यह दुर्भावनापूर्ण भविष्योक्ति की थी "सत्ता भ्रष्टाचारियों, बेईमानों और मुफ्तखोरों के हाथों में चली जाएगी। एक बोतल पानी व एक रोटी भी कर से नहीं बच पाएंगे, केवल हवा ही निःशुल्क होगी और इन सब करोड़ों भूखे का खून (एटली)* के सिर होगा। ये तिनकों से बने लोग हैं जिनका कुछ साल बाद कोई निशान नहीं बचेगा। ये आपस में लड़ेंगे और भारत राजनीतिक कोलाहल में खो जाएगा।"**

चर्चिल के बहुचर्चित भारत विरोध के अलावा पाश्चात्य चिंतकों ने भी भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं आंका था। 1974 में मिलोवान जिलास ने 'विश्व: 2024 एक भविष्यात्मक अध्ययन' में कहा है "यद्यपि भारत से मेरी सहानुभूति है, मैं इस मसले पर आश्वत नहीं हूं कि भारत लम्बे समय तक एक रह पाएगा। वर्तमान भाषायी इकाइयां शनैः शनैः स्वतंत्र हो जाएंगी और इस बात की बड़ी सम्भावना है कि देश के दक्षिण-पश्चिम, दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी भाग, काफी सम्भावना है, अलग-अलग स्वतंत्र देशों में विभक्त हो जाएंगे।"

भारत के विस्तृत भौगोलिक आकार और अथाह सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधताओं की एक सम्प्रभु, अखण्ड, लोकतांत्रिक देश के रूप में देख पाने के लिए समाजशास्त्रियों को विशेष प्रयत्न करना पड़ा है। परन्तु हमारे प्रयास एकजुटता और इससे उत्पन्न होने वाले लाभ की ओर रहे हैं जिनमें पूरी नहीं, तो आंशिक सफलता अवश्य मिली है।

'अनेकता में एकता' का उदाहरण देते हुए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री

---

* ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री

** मूल अंग्रेजी में है। अनुवाद लेखक का है। निबंध में आगे भी कई उद्दरण ऐसे हैं जिनका मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद किया गया है।

श्रीमती मार्गरेट थैचर ने तत्कालीन संयुक्त रूस के राष्ट्रपति श्री मिखाइल गोर्बाचौफ (जब वे ब्रिटेन के दौरे पर थे) से कहा था कि "...उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ मित्रों अर्थात् भारतीयों से यह जानना चाहिए कि धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता और वर्णो की विविधता के रहते भारत कैसे एकजुट रह पाया।"

भारत के प्रति विश्व के विचारों में आया यह परिवर्तन निश्चय ही बड़ा सुखद है।

आज हमारा देश 1947 की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है। हम एक धर्म निरपेक्ष, वर्ण व्यवस्था से ऊपर एक न्यायप्रिय और संगठित लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में प्रयासरत हैं। विभिन्न धर्मो, जातियों, भाषाओं, क्षेत्रीय विविधताओं से युक्त हमारा देश आज एक सशक्त इकाई है। प्रतिरक्षा, शिक्षा, वित्त, उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा आदि क्षेत्र में आज हम आत्मनिर्भर हैं।

क्या है उस प्राण वायु का स्रोत जिससे निरंतर हमारा देश जीवंत, क्रियाशील और स्थिर है। यह स्रोत है—हमारा पांच हजार वर्ष का सहिष्णु इतिहास और हमारे स्वतंत्रता सेनानी परतंत्रता के विरोध में लड़े गए लम्बे संग्राम में देशवासियों ने विषम परिस्थितियों के होते हुए भी त्याग और बलिदान के अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किए। यह भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता के पुनराविर्भाव का समय था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए छेड़ा गया अभियान एक नया समुद्र-मंथन साबित हुआ जिससे कई मानव रत्न निकले।

मौलाना आज़ाद इस मंथन से निकली रत्न रूपी उन विभूतियों में से एक हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके पश्चात भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई। अपनी विचार पयस्विनी से देश को क्रियाशील बनाने और संगठित करने में एक अहम भूमिका निभाई।

आज जब विश्वभर में मानव जीवन संबंधी सभी विधाओं में परंपरागत मानदण्ड व आस्थाएं बदलती हुई नया रूप ले रही हैं, ऐसे

में यदि हम भारतीय परिदृश्य को मौलाना के ज्ञान व अनुभव के प्रकाश में देखें और उनके अनुसार अपनी नीतियों को कार्यान्वित करें तो यह निश्चय ही उपयुक्त होगा। उनके विचार आज और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं।

समकालीन संदर्भ

हर काल हर परिस्थिति की अपनी विशेषता होती है। व्यक्ति, समाज व राष्ट्र अपने-अपने स्तर पर इन परिस्थितियों की कसौटी पर परखे जाते हैं। सफलता के लिए हर स्तर पर समयानुकूल और भविष्योन्मुखी नीतियां और उन पर आचरण आवश्यक होता है। राष्ट्र मानवाधिकार, जीवन स्तर, सम्पन्नता (सांस्कृतिक, आर्थिक, बौद्धिक) के मानदण्डों पर आंके जाते हैं और विश्व मंच पर अपना स्थान लेते हैं। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य यह क्रिया प्रक्रिया चलती रहती है। ये परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए आज हमारे देश में भी सकारात्मक और अनवरत विकास के लिए वर्तमान परिस्थितियों का सर्वेक्षण, परीक्षण और मूल्यांकन आवश्यक है।

भारत विश्व का सबसे वृहत-क्रियाशील और परिवर्तनशील लोकतंत्र कहा जा सकता है। इसकी सफलता या विफलता पूरे विश्व को प्रभावित करती है। तथापि पाश्चात्य मूल्यों और विचारधाराओं के अतिक्रमण के रहते अपनी सांस्कृतिक पहचान को आज एक नया और मजबूत स्वरूप प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। नस्ल, भाषा, क्षेत्रीयता और धर्म की विभाजक रेखाएं कहीं न कहीं, दबी-छुपी, अस्तित्व में हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सामूहिक प्रयासों से जो समरसता उत्पन्न हुई थी वह कभी-कभी इन विषकणों से दूषित हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीयता को घोर अंतर्मुखी और आत्मघाती होने से बचाने के लिए इन विभाजनकारी तत्वों को संवेदनशीलता से देखना होगा। सबके लिए समान-साधन,

समान अवसर और समुचित सम्पन्नता (सांस्कृतिक और आर्थिक) ही हमें एक सूत्र में बांधे रख सकती है। अगर व्यक्ति संतुष्ट होगा तभी वह सामाजिक व राष्ट्रीय उपलब्धियों में सम्मिलित हो पाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का वर्तमान स्वरूप कुछ हद तक बार्बरा क्रोसे की इन पंक्तियों में निहित है–"आज भारत विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। सामाजिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद् की सदस्यता का इच्छुक है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-सद्भाव का पक्षधर है और मध्यस्थता एवं सहायता की क्षमता रखता है। नव स्वतंत्र हुए मध्य एशियाई देशों, दक्षिण पूर्व एशियाई–दक्षिण एशियाई–प्रशांत महासागर तटीय देशों के मामलों में सकारात्मक भूमिका अदा करने की इच्छा और सामर्थ्य रखता है। पुराने सत्ता केन्द्रों के क्षीण होते यह सब संभव है–प्राप्य है।"

परन्तु अगली ही सांस में चेतावनी भी दी जा रही है कि घर के बाहर अपने बुद्धिबल और बाहुबल के प्रदर्शन से पहले बेहतर है कि अपना घर संवारा जाए। बलिदानों और महान आध्यात्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर खड़े इस देश को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाए जहां हर नागरिक को समुचित और समान रूप से विकास के साधन, अवसर मिलें।

आज भी देश की आधी आबादी अशिक्षित है। जनसंख्या एक अरब का आंकड़ा पार करने वाली है। अपराध, महिलाओं पर अत्याचार, गरीबी और असमानता के दैत्य समाज को त्रस्त कर रहे हैं। देशान्तरगमन, शरणार्थियों और पर्यावरण संबंधी कई अन्य विकराल समस्याएं सुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ी हैं।

अगर इन आंकड़ों से किसी देश के विकास का कुछ आभास हो सकता है, तो निश्चित ही भारत के विषय में यह आभास निराशाजनक है।

सांस्कृतिक अतिक्रमण

संचार के साधनों के अधिक प्रभावी होने से विश्व सिमट कर रह

गया है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान की कई बहुआयामी व्यवस्थाएं आज प्रचलित हैं। यहां पर यह जान लेना आवश्यक है कि नई संस्कृतियों से साक्षात्कार रोचक और विकासोन्मुख तो है पर केवल एकतरफा प्रवाह से कई खतरे पैदा हो रहे हैं। विश्व संस्कृति के रूप में पाश्चात्य संस्कृति धड़ल्ले से परोसी जा रही है। इससे आतंकित हो कई स्थानीय संस्कृतियां अन्तर्मुखी हो गई हैं। विश्व-बन्धुत्व के साथ-साथ कट्टरवाद व चरमपंथ भी बढ़ता जा रहा है। इससे यह परिलक्षित होता है कि सांस्कृतिक आकांक्षाएं राजनैतिक विचारों पर हावी होती जा रही हैं।

शासन

बार्बरा क्रोसे के अनुसार, निराशावाद के चरम पर भारतीय समाजशास्त्री भयभीत हैं कि भ्रष्टाचार और हिंसा की संस्कृति देश को तीसरी दुनिया के उन देशों में ले जा रही है जिनके साधन व्यर्थ हो चुके हैं और आशाएं क्षीण हो चुकी हैं। शासन के प्रति विश्वास घटता जा रहा है। शासनादेशों को सर्वमान्य बनाना दुष्कर होता जा रहा है।

समाज के कुछ हिस्से जहां घोर विपन्नता और अशिक्षा के शिकार हैं तो दूसरी ओर कुछ वर्ग विश्व बंधुत्व और पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई में लिप्त हैं। एक ही समय में एक समाज के दो अंगों का इतना भिन्न होना यह दिखाता है कि हमारी विकास यात्रा अधूरी और त्रुटिपूर्ण है।

आज नई पीढ़ी को देश के इतिहास और उपलब्धियों का ज्ञान नहीं है परन्तु पाश्चात्य जीवन के क्षुद्र से क्षुद्र पहलू की भी नकल करने की प्रबल इच्छा है। विज्ञान जो गरीबी, भुखमरी और असमानता को दूर करने का हथियार होना चाहिए आज विश्व को नाश के कगार पर ले जा रहा है। धर्म, आधुनिकता की दौड़ में पिछड़े लोगों के लिए शरण बनता जा रहा है। आर्थिक विषमताएं बढ़ती जा रही हैं।

यही समय है कि हम इस दौड़ से कुछ पल के लिए अलग हो जाएं। मनन करें और उन महान आत्माओं द्वारा प्रशस्त पथ का अध्ययन करें

जो स्वतंत्रता संग्राम की आग में तपे और जिन्होंने मानवेत्तर प्रयत्नों से देश को नया जीवन नया रूप दिया।

मौलाना की विचार श्रृंखला का पुनरावलोकन अत्यधिक प्रासंगिक है। मौलाना उस काल की उपज थे जब राजनीतिक अधीनता, सामाजिक ह्रास और घोर वित्तीय दारिद्रय के सम्मुख होते हुए भी भारत के नव चैतन्य जन-साधारण, जागृत बुद्धिजीवी वर्ग और उत्साही नवयुवक युवतियों ने एक विस्तृत स्तर पर कार्यक्रम चलाए, सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन छेड़े और बलिदान दिए। अपना वर्तमान व भविष्य स्वाहा किया और भारत के लिए स्वतंत्रता की सुबह लाए। मौलाना के व्यक्तित्व में भारतीय जीवन, इस्लाम व अन्य धर्मों के दर्शन और राजनीतिक अनुभवों से जो ज्ञान पुंज प्रकट हुआ उसका प्रकाश आज भी प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है।

राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीयता

मौलाना ने कहा था विकास के लिए संकीर्ण विचारों से बड़ी रुकावट कोई नहीं है। राष्ट्रीय जीवन के स्वस्थ विकास के लिए संकीर्ण मानसिकता से ज्यादा खतरनाक कोई बीमारी नहीं है। एक बहुरुपिए की भांति यह छद्म वेष में विचरती है। धर्म के क्षेत्र में यह अंधविश्वास के रूप में रहती है और रुढ़ीवादी धर्मपरायणता के रूप में हमें दलती है।"

उनके लिए समयानुसार स्थिति का आंकलन और प्रतिक्रिया राजनीतिक मंसूबे हासिल करने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। जहां उन्होंने राष्ट्रीयता को धर्म, जाति, नस्ल, भाषा से ऊपर उठाकर उसे एक वृहत आयाम दिया, वहीं उन्होंने नाजीवाद और फासीवाद को नकारा जो घोर राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। उनका राष्ट्र 'जनतंत्र' और 'स्वतंत्रता की रक्षा' पर आधारित था। मौलाना ने ब्रिटेन की फूट डालकर राज करने की नीति को पहचाना और उसके विरुद्ध लड़े। ब्रिटेन ने बार-बार दुनिया को यह विश्वास

दिलाने की चेष्टा की थी कि हिन्दुस्तान की राजनैतिक समस्या के निदान में अल्पसंख्याकों के हितों की समस्या आड़े आ रही है। मौलाना आजन्म इस भ्रम के अवगुंठन को हटाने के लिए प्रयासरत रहे और सफल भी हुए।

वे साम्प्रदायिकता की समस्या से वाकिफ थे और इसे देश का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक विषय मानते थे। उन्होंने विभिन्न दबावों के बावजूद एक राष्ट्रीय नजरिया बनाया और उसे प्रचारित किया। दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी के आन्दोलन को अपने प्रकाशनों के माध्यम से प्रचारित कर भारतीयों में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एकता लाने का प्रयास किया।

ब्रिटिश साम्राज्य के भरसक विरोध के बावजूद मौलाना 'राष्ट्रवादी मुसलमान' की जमात को जागरूक और संगठित करके राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने में सफल रहे थे। उनके तर्क सीधे, सरल और जमीन से जुड़े होते थे। उनमें कुंठाओं और शंकाओं को सहज ही दूर कर देने की क्षमता थी। मौलाना के अनुसार एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा भारतीय होने में कोई विरोधाभास नहीं था। उनका कहना था, "एक हजार साल के हमारे संयुक्त जीवन ने हमें एक साझी राष्ट्रीयता के सांचे में ढाल दिया है। यह कृत्रिम उपायों से संभव नहीं था। प्रकृति यह ढलाई एक परोक्ष प्रक्रिया से करती रहती है। हमें अच्छा लगे न लगे लेकिन यह तथ्य है कि हम एक भारतीय राष्ट्र बन गए हैं 'संगठित' और 'अविभाज्य'।"

मौलाना को विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं और राष्ट्रीय जीवन व सोच पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का पूर्वाभास था। वे समझते थे कि एक हजार साल की सांस्कृतिक सामासिकता को एक भौतिक रेखा से अलग नहीं किया जा सकताा। जमीन से जुड़े लोगों को उखाड़ कर फिर से रोपने की त्रासदी वे समझते थे और जनता को आगाह करते थे। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था "ऐसा समय आ सकता है कि पाकिस्तान में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग बंगाली, पंजाबी, बलूची और अन्य अपने लिए अलग-अलग राष्ट्र की

मांग करने लगें। उस समय आप लोगों की स्थिति क्या होगी। आप एक अयाचित अतिथि की भांति असहाय होंगे।"

एक और अवसर पर (23 अक्तूबर, 1947) उन्होंने मस्जिद से भारतीय मुसलमानों को सम्बोधित किया था जब विभाजन के पश्चात वे बेघर हो चुके थे और अपनी राजनैतिक और राष्ट्रीय अस्मिता खो देने के भय से त्रस्त थे। अपने पूर्वजों की धरती छोड़कर जाने की बात सोचने और पाकिस्तान रूपी मृगतृष्णा के पीछे भागने पर मौलाना ने उन्हें फटकारा था। वे समझते थे "विभाजन की इस प्रक्रिया का कोई अंत नहीं है। सर्वहित संगठन में है, विभाजन में नहीं। अगर स्वार्थ और संकीर्ण मानसिकता से ओतप्रोत तर्कों के आधार पर विभाजन किया जाने लगा तो आखिरी इन्सान तक विभाजन चलता रहेगा।"

ये विचार आज के किसी भी अलगाववादी आन्दोलन के लिए सीख बन सकते हैं और भटके हुए देशवासियों को सही राह पर ला सकते है।

आत्मविश्वास खोकर 'अल्पसंख्यक' का जामा ओढ़ने को तैयार मुसलमान गुटों को उन्होंने फटकारा और मुख्य धारा की ओर प्रेरित किया। उन्होंने अल्पसंख्यों को पहचानने के लिए नियमों का प्रतिपादन किया और संविधान में उनके हितों की रक्षा और विकास के लिए प्रावधान रखने की पैरवी की।

वे समाजवादी आंदोलन के हिमायती थे और सार्वजनिक विकास को ही समुचित विकास मानते थे। उनका सपना था कि स्वतंत्र भारत एक 'समाजवादी' भारत बने। उनकी इस पंक्ति में गरीबों और मेहनतकश लोगों के प्रति आत्मीयता व स्नेह की झलक देखने को मिलती है, "मैं देखना चाहता हूं कि हमारे करोड़ों कामगारों व किसानों को दो वक्त की रोटी मिले और अधिकार स्वरूप अपना हक मिले।" सांस्कृतिक सामंजस्य, धार्मिक सद्भावना, अहिंसा और नैतिक पुनरुत्थान ही उनके विचारों के मुख्य विषय नहीं थे। उनमें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देने का जोश था। 1942 में देशवासियों को सम्बोधित

करते हुए उन्होंने कहा था, "मैं अपना दायित्व नहीं छोडूंगा, चाहे शान्ति हो या युद्ध। अगर भारत युद्ध की अग्नि में जल रहा हो तो मैं अपना खून बहा कर भी विदेशी आक्रमण से मातृभूमि की रक्षा करूंगा।" उसी सांस में वे आगे कहते हैं, "समर्पण न करके, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो दुश्मन की गोली का सामना करेगा।"

अनुशासन के प्रति उनकी गहरी आस्था थी और वे इसे राष्ट्रोत्थान का मूलभूत जरिया मानते थे। अपने एक भाषण में देशवासियों से उन्होंने कहा था, "अंधानुकरण जिस प्रकार प्रगति और सफलता के मार्ग में अवरोधक है उसी प्रकार आज्ञापालन प्रत्येक सामूहिक कार्य के लिए आवश्यक है।...एक अनुचित आदेश को झेल लेना इस बात से श्रेष्ठ है कि संपूर्ण सेना का अनुशासन ही मिट जाए।"

अंतर्राष्ट्रीयता

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मौलाना कट्टरपंथी राष्ट्रीयता के विरोधी थे क्योंकि वे मानते थे कि इससे घृणा और संकीर्ण मानसिकता जन्म लेती है। वे विश्व बंधुत्व की कल्पना करते थे और संस्कृतियों के माध्यम से विश्व को जोड़ना चाहते थे। उनका मानना था कि देश के समग्र और समयानुकूल विकास के लिए विश्व के अन्य स्वतंत्र देशों से संबंध बनाना आवश्यक है। नव-स्वतंत्र राष्ट्र के लिए इससे बेहतर क्या ताकीद हो सकती है। "यह अनिवार्य है कि बाह्य परिस्थितियां हमारी परिस्थितियों पर तुरन्त प्रभाव डालें और यह भी अनिवार्य है कि हमारी परिस्थितियों और निर्णयों से दुनियां की परिस्थितियों और निर्णयों पर प्रभाव पड़े।" उन्हें चिंता थी कि राष्ट्रीयता के पुनरुत्थान में हम सब कुछ भूल कर अतीतोन्मुखी न हो जाएं।

अंग्रेजी शासन के प्रति उपजी घृणा ने आधुनिकता के प्रति भी नकारात्मक रवैया फैला दिया था। इस नकारात्मक नज़रिए को बदलना आवश्यक था क्योंकि जहां एक ओर अन्य देश विकासोन्मुख थे, वहीं हम

अपनी पुरातन संस्कृति के स्वर्णिम इतिहास में खोए हुए थे। भारत और विश्व के बीच सांस्कृतिक, औद्योगिक, बौद्धिक पुल बनाने बहुत आवश्यक थे। धर्म के शुद्ध तत्व के ज्ञाता और प्रचारक मौलाना का मानना था कि "मनुष्य के विश्वव्यापी भ्रातृत्व के मार्ग में चार बातें सबसे बड़ी रुकावट थीं—नस्ल, जन्मभूमि, वर्ण और भाषा। इन्हीं चार भेदों के आधार पर अलग-अलग समुदाय बनाए गए थे।...परन्तु यह भिन्नताएं मनुष्य की अस्मिता और पारस्परिक भेदभाव के आधार नहीं हैं।"

वे साम्राज्य स्थापित करने के लिए बल व कूटनीति के प्रयोग के विरोधी थे। जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था। अपनी आत्मकथा, इण्डिया विन्स फ्रीडम में वे कहते हैं, "मैं (अब भी) इस विचार पर दृढ़ हूं कि बिना चेतावनी के जापान के विरुद्ध एटमी हथियारों का प्रयोग जायज नहीं था। यह एक ऐसा हथियार था जिसने न केवल सैन्य बलों को नष्ट किया, बल्कि साधारण नागरिकों और भविष्य की पीढ़ियों को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। असल में, इन हथियारों से पूरी मानवता के नष्ट होने का खतरा है।"

वे सभी देशों के लिए समान आधार और मानदण्डों की मांग करते थे। उनका मानना था कि अगर प्रथम विश्वयुद्ध में जहरीली गैस के प्रयोग के लिए जर्मनी की निन्दा हुई थी तो अमरीका व मित्र राष्ट्रों की भी नाभिकीय हथियारों के प्रयोग के लिए दोषी ठहराया जाए। वे इस बात से दुःखी थे कि ऐसे वीभत्स कृत्य के बाद भी अमेरिका व मित्र राष्ट्रों ने हिरोशिमा और नागासाकी के विनाश को विजय के रूप में मनाया।

वे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सहयोग के सशक्त समर्थक थे। उनका विचार था "संघर्ष मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेता है इसलिए आवश्यक है कि शान्ति की बुनियाद भी मनुष्य के मस्तिष्क में डाली जाए।"

वे संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनेस्को की प्रासंगिकता और उपयोगिता के प्रबल समर्थक थे। भारत की ओर से उन्होंने बढ़-चढ़कर इन संस्थाओं के विकास में योगदान दिया। वे विश्व शांति के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा

इन संस्थाओं में विश्वास व वफादारी को हितकर समझते थे। वे कहते थे "अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तभी स्थापित हो सकती है जब राष्ट्र अपनी कार्य सीमा पहचानने के लिए तैयार हों और एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के नियमों को मानने के लिए सहमत हों।"

विश्व बाजार व्यवस्था व परस्पर जीवन-स्तर को ऊंचा करने की होड़ में लगे औद्योगिक क्रान्ति से प्रभावित राष्ट्रों द्वारा प्रचलित साम्राज्यवाद की वे निंदा करते थे। साथ ही वे संकीर्ण राष्ट्रीयता से उत्पन्न आकांक्षाओं व लालसाओं के प्रभाव क्षेत्र के बढ़ने से होने वाले खतरों से वाकिफ थे। वे सांस्कृतिक आदान-प्रदान से विश्व को जोड़ना चाहते थे। यह तर्क उनके इस कथन में निहित है "यह स्पष्ट है कि भौतिक आकांक्षाओं के टकराव के क्षेत्र में समझौता करना दुष्कर होता है जबकि रचनात्मक विचारधारा के क्षेत्र में सहयोग और समझौता सम्भव ही नहीं सबसे प्राकृतिक और आसान रास्ते हैं। जहां भौतिक सम्पत्ति के विभाजन से निधि में ह्रास होता है, वहीं आध्यात्मिक सम्पत्ति के विभाजन और आबंटन से सबका लाभ होता है।"

देश को भविष्य की ओर आगाह करते हुए उन्होंने कहा था "यह आवश्यक है कि अपने भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हुए हम केवल अपने चारों ओर ही न देखें बल्कि उससे बाहर की दुनिया पर भी दृष्टिपात करें। युग के असंख्य परिवर्तनों ने देशों और राष्ट्रों को इस प्रकार एक दूसरे के निकट ला दिया है और चिंतन और क्रियाओं की लहरें एक अनुभाग में उतरकर इस तीव्रता के साथ दूसरे अनुभागों पर अपना प्रभाव डालना आरंभ कर देती हैं कि आजकल की स्थिति में यह सम्भव नहीं है कि हिन्दोस्तानी अपनी चार दीवारी के अन्दर ही बंद रह कर ही सोच सके।"

दर्शन और संस्कृतिक

ब्रिटिश शासन के दौरान पाश्चात्य संस्कृति के आगमन से देशी संस्कृति और आस्थाओं के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा था और कुछ

हद तक ये अंतमुर्खी हो गए थे। जहां आधुनिकता की ओर खुला नज़रिया आवश्यक था वहीं अपनी सांस्कृतिक अस्मिता का संरक्षण भी आवश्यक था। मौलाना शुद्ध धर्म में पगे हुए मसीहा थे जिन्होंने देशीय और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवाहों को परखा और एक विकासोन्मुख और समयानुकूल नज़रिया अपनाया। वे अतीतोन्मुखी होने के आत्मघाती परिणाम से परिचित थे। आंख मूंद कर पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण से होने वाले दुष्परिणामों का भी उन्हें ज्ञान था। उन्होंने विचारधारा में संतुलन का जो पाठ हमारे देश को दिया, वह आज अत्यधिक प्रासंगिक है जब संचार माध्यमों के ग्लोबीकरण से पाश्चात्य संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति को दबाती जा रही है और आधुनिक शिक्षा का अर्थ केवल पाश्चात्य परिधान—पाश्चात्य खान-पान और पाश्चात्य भाषा ही रह गया है। यही नहीं भारतीय भाषा, वेश-भूषा और आचरण को भी हेय और दकियानूसी समझा जाता है।

उनके इस्लामी विचार, पूर्वी और पाश्चात्य दर्शन के अध्ययन से जीवन का एक ऐसा दर्शन उपजा जिसने देश में व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण को सही दिशा दी। साथ ही सामाजिक और राजनैतिक जीवन में मौलाना ने उनका पक्ष लिया, "जिन्होंने अपने मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान को छोड़े बिना सुधार की मांग की।" आज भी परंपरागत मूल्य और सुधार का सम्मिश्रण ही एकमात्र सकारात्मक उपाय है, ताकि हम विश्व के साथ-साथ चल सकें और एक संतुष्ट जीवन जी सकें।

परतंत्रता के दौरान भारतीय कला, साहित्य और नाट्य-संगीत में जो जड़ता और ठहराव आ गया था उसे दूर करना आवश्यक था। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं को एक मंच पर लाना आवश्यक था ताकि विभिन्न राज्यों के लोग एक-दूसरे की सांस्कृतिक विविधता से परिचित हों—उसे आत्मसात करें और गोरवान्वित हों। गुलामी के जाल से मुक्त हुए एक भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश में

संस्थागत व्यवस्था इन धरोहरों को सहेजने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक थी। मौलाना ने इस आवश्यकता को समझा और ललित कला, साहित्य और नाट्य संगीत अकादमियों के स्थापन में अहम भूमिका निभाई। यह हमारे देश में प्रचलित विभिन्न संस्कृतियों की नदियों को एक महानदी में एकत्र करके राष्ट्रीय एकता लाने का एक महान प्रयास था जो आज भी प्रासंगिक है।

आज साहित्य अकादमी 22 भाषाओं में पुस्तकें करने के साथ-साथ अनेक जनजातीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन देती है। अकादमी के प्रयासों से भाषाओं के बीच समानता आ रही है। यह अकादमियां सिर्फ पुरस्कार और संरक्षण ही नहीं देती, वे प्रकाशन में क्षेत्रीय संतुलन भी करती हैं। हर वर्ष संगोष्ठियों, अनुवाद की कार्यशालाओं और स्त्रियों, दलितों, युवाओं के सम्मेलन सहित 300 से अधिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसी प्रकार ललित कला व नाट्य संगीत अकादमियां भी अन्तर्क्षेत्रीय सामंजस्य बढ़ाती हैं और नवोदित एवं सुदूर क्षेत्रों के प्रयासकों को प्रोत्साहित करती हैं।

हाल ही में इन अकादमियों की प्रासंगिकता और कार्य प्राणाली संदेह और प्रश्नों के घेरे में आई है परन्तु इससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि यह प्रयास ही त्रुटिपूर्ण है। कार्यशैली की विफलता से इस महान उद्देश्य के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। हम सब मौलाना के प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमें ऐसी सामयिक और उपयोगी संस्थाएं दीं। मौलाना ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया कि जहां सैन्य, भौगोलिक और आर्थिक विषय अविश्वास को जन्म देते हैं वहां सौहार्द ही एक ऐसा रास्ता है जो राष्ट्रों को निकट ला सकता है।

मौलाना ने इस्लाम एवं अन्य धर्मों, पाश्चात्य एवं भारतीय दर्शन का गहन अध्ययन किया था। इन सबके अध्ययन के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मानवमात्र का कल्याण ही सर्वश्रेष्ठ धर्म और दर्शन है। पाश्चात्य दर्शन इस बात पर विशेष ध्यान देता है कि मानव क्या और

क्यों कर रहा है और भारतीय एवं इस्लामी दार्शनिक परंपरा के अनुसार मानव में ईश्वर प्रतिबिंबित हैं। वह दोनों दार्शनिक विधाओं के संयोजन को मानवता के लिए महत्वपूर्ण और कल्याणकारी मानते थे। उनका विचार था "विज्ञान अपने आप में निष्पक्ष है। इसके अविष्कार, जीवन और मृत्यु दोनों देने के लिए बराबर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। यह प्रयोगकर्ता के सोच पर निर्भर करता है कि विज्ञान का प्रयोग धरा पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए किया जाए या एक दावानल से समस्त विश्व का नाश करने के लिए। अगर हम मनुष्य को केवल एक विकासशील पशु के रूप में ही देखें तो उसे पशुओं के सदृश विज्ञान के प्रयोग से कोई नहीं रोक सकता और अगर हम मनुष्य का उद्गम ईश्वर से मानें, तो वह विज्ञान का प्रयोग केवल ईश्वरीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करेगा, जैसे विश्व में शान्ति की स्थापना और समूची मानवता के लिए सद्भावना।"

परन्तु आज के परिदृश्य को देखने से यही प्रतीत होता है कि हम अपने लिए पाशविक उत्पत्ति और व्यवहार को स्वीकार कर चुके हैं और पाशविक आचरण को जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। अल्पदृष्टिगत स्वार्थ और अज्ञानवश आज हम हथियारों की होड़, युद्ध, प्रदूषण आदि में चरमोत्कर्ष की प्राप्ति के लिए विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। मौलाना की सीख को आत्मसात करने के लिए आज से अधिक उपयुक्त समय कोई नहीं है। समय है कि विज्ञान का उपयोग गरीबी हटाने के लिए और समानता लाने के लिए किया जाए।

शुद्ध धर्म और धर्मनिरपेक्षता

अल्पायु से ही मौलाना की धर्म में विशेष रुचि थी और अनेक प्रश्न उनके अन्तःकरण में उठते रहते थे। सबसे प्रमुख था "क्योंकर सारे धर्म सत्य का एकमात्र साधन होने का दम भरते हैं और अन्य धर्मों को झूठा मानकर तिरस्कार करते हैं?"

धर्म का हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अतिमहत्वपूर्ण

स्थान है। इससे जीवन में स्थिरता और शान्ति रहती है। जीविकोपार्जन और दैनिक संघर्ष के पश्चात व्यक्ति को धर्म में प्रश्रय मिलता है। भ्रम और भय की स्थिति में धर्म मानवमात्र का मार्गदर्शन और कल्याण करता है। हमारे देश में कई धर्मों के अनुयायी हैं जो अपनी-अपनी विधि से परम सत्ता की आराधना करते हैं। अपनी पुस्तक, 'भारतीय संस्कृति का मुसलमानों पर प्रभाव' में मुहम्मद उमर कहते हैं, "मुसलमानों के आगमन से पूर्व भारत में अनेक धर्म जैसे बौद्ध, जैन और वैदिक धर्म प्रचलित थे। इन धर्मों के प्रतिपादनों की शिक्षा में बड़ा विरोध पाया जाता लेकिन क्योंकि वे जन्म से भारतीय थे, इसलिए उनमें प्रकट असामंजस्य की स्थिति पैदा नहीं हुई। हर व्यक्ति को आज़ादी थी कि वह जिस धार्मिक विश्वास को चाहे अपना ले।... मुसलमान इस देश में विजेता की हैसियत से आए थे और उनके धर्म में और इस देश के धर्मो में सामंजस्य नहीं था।... आरम्भ में ये दोनों जातियां धार्मिक असंगतियों की बिना पर एक दूसरे को घृणा और संदेह की दृष्टि से देखती थीं...लेकिन यह स्थिति बहुत दिन तक कायम नहीं रह सकती थी। न तो एक ही धर्म के अनुयायी इस देश में रह सकते थे और न यह संभव था कि एक कौम दूसरी कौम को मौत के घाट उतार देती।...समय के साथ-साथ हिन्दुओं और मुसलमानों में मेल-जोल, एकता और भाईचारे के सम्बंध बढ़ने लगे।"

यह स्थिति हजार वर्ष के सह-अस्तित्व से उत्पन्न हुई थी। ब्रिटेन साम्राज्य के उत्थान के साथ यह बिगड़ती दिखी। प्रशासन को आसान बनाने के लिए ब्रिटेनी सत्ता ने इस विशाल जनसमूह (भारत की जनता) को धर्माधारित विभाजन से अलग करने की कोशिश की जो सफल रही।

आज़ाद ने इतिहास की इस त्रासदी को पहचाना और इसका निवारण करने के लिए अथक प्रयास किए। मौलाना का नजरिया सार्वभौमिक इस्लामी मानवता से प्रभावित था जो फारसी सूफी काव्य परम्परा के अंतर्गत था, जिसने पूर्वी इस्लाम पर गहरी छाप छोड़ी है।

जिसके अनुसार मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल भौगोलिक विस्तार में बसे हिन्दू, मुसलमानों और अन्य धर्मों के अनुयायियों का लाभ एकजुट होकर ब्रिटानी साम्राज्यवाद से लड़ने में ही था। अंग्रेजी की फूट डालकर राज करने की नीति के विरोध में मौलाना ने एक वैचारिक आन्दोलन का प्रतिपादन किया और जन-साधारण को अंग्रेजों द्वारा उपजाए इस भ्रम से सावधान किया। 1923 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर आसीन होने के बाद अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा था:

> "यह (हिन्दू-मुस्लिम एकता) हमारे भवन की वह प्रथम आधारशिला है जिसके बिना न केवल हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता बल्कि हिन्दुस्तान की वह समस्त बातें जो किसी देश के जीवित रहने और उन्नति करने के लिए हो सकती हैं, नितांत निराधार कल्पना हैं। केवल यही नहीं कि इसके बिना हम मानव प्रेम के मूल सिद्धांत भी अपने अन्दर उत्पन्न नहीं कर सकते। आज यदि एक देवदूत आकाशाच्छादित बदलियों से उतर आए और यह घोषणा कर दे कि स्वराज्य चौबीस घंटों में मिल सकता है, यदि हिन्दुस्तानी हिन्दू-मुस्लिम एकता का आग्रह त्याग दें, तो मैं स्वराज्य छोड़ दूंगा। किन्तु इस एकता को कभी नहीं छोड़ूंगा। स्वराज्य के मिलने में अगर हानि हुई तो यह हिन्दुस्तान की हानि होगी। किन्तु यदि हमारी एकता जाती रही तो यह मानव जाति की हानि होगी।"

ईश्वरीय सत्ता को इस प्रकार तभी ललकारा जा सकता है जब धर्म के शुद्ध स्वरूप का गहन गम्भीर ज्ञान हो। मानव को ईश्वर का ही बिम्ब समझने वाले मौलाना ईश्वर से इस अन्याय की आशा भी नहीं करते थे। देवदूत की आवाज को वही अनसुना कर सकता है, जिसने मनुष्यता में दैवीय अस्तित्व ढूंढ़ा हो, अनुभव किया हो, पाया हो।

धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु राष्ट्रीयता के प्रवर्तक मौलाना ने अपने

1940 के कांग्रेस अध्यक्षीय अभिभाषण में फिर कहा था: "हमारे 1100 वर्ष के मिले-जुले इतिहास में हमारी समानधर्मी, सर्जनात्मक और रचनात्मक उपलब्धियों ने हिन्दुस्तान को समृद्धिशाली बनाया है। हमारी भाषाओं, हमारे काव्य, हमारे साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी वेशभूषा, हमारी जीवनचर्या और रीति-रिवाजों पर इस समानधर्मी जीवन की छाप लगी हुई है। हमारी भाषाएं भिन्न थीं किन्तु हम एक समान भाषा का उपयोग करने लगे, हमारे रीति-रिवाजों और आचरण में विभिन्नता थी किन्तु उन्होंने एक-दूसरे को प्रभावित किया और परिणामत: एक नया रूप धारण कर लिया।

...यदि हममें से कोई ऐसा हिन्दू है जो हजार वर्ष या उससे अधिक काल की हिन्दू जीवन पद्धति को वापस लाना चाहता है तो वह केवल स्वप्नलोक में विचरण कर रहा है और इस प्रकार के स्वप्न यथार्थ नहीं बनते। इसी प्रकार यदि हममें से कोई मुसलमान अतीतकालीन अपनी सभ्यता और संस्कृति का पुनर्रुथान करना चाहता है जिसे मुसलमान एक हजार वर्ष पूर्व ईरान और मध्य एशिया से लाए थे तो वह भी स्वप्नलोक में विचरण करते हैं और जितनी जल्दी जाग जाए अच्छा है। यह अस्वाभाविकक कल्पनाएं हैं जिनकी जड़ें यथार्थ की भूमि में फैल नहीं सकतीं। मैं उन्हीं व्यक्तियों में से हूं जिनका विचार है कि धर्म का पुनर्रुत्थान आवश्यक है किन्तु संस्कृति के सन्दर्भ में पुनर्रुत्थान का अर्थ है प्रगति के पथ को अस्वीकार करना।

मौलाना को इस सत्य का पूरा अहसास था कि धर्मनिरपेक्षता ही भारतीय राष्ट्र को एकजुट रख सकती थी। उन्हें हिन्दू मुसलमानों में फूट का अहसास भी था और उन्होंने 1923 के अंग्रेजी अभिभाषण में सबको फटकार लगाई थी "जब 'हिन्दुओं को बचाओ' और 'मुसलमानों को बचाओ' की स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो राष्ट्र को बचाने की चिंता कौन करे?" मौलाना को यह भी अहसास था कि विभाजन के बाद भारतीय मुसलमानों को अपनी तुलनात्मक अल्पसंख्या के कारण

राजनैतिक-सामाजिक संशय होंगे। इस स्थिति से बचने के लिए मौलाना ने धर्म के शुद्ध रूप को बढ़ावा दिया और धर्मनिरपेक्षता को इस देश में संस्थागत रूप से स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई।

आज के संदर्भ में अगर देश को विकास की ओर बढ़ना है तो यह एकता, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक बंधनों से मुक्ति, सबको समान अवसर, सुरक्षित वातावरण और वैचारिक स्वतंत्रता देकर ही संभव है। अन्यथा धर्म, नस्ल, वर्ण और भाषा से देश विभाजित होगा और अंततः नष्ट हो जाएगा। मौलाना इस्लाम के प्रबुद्ध अनुयायी थे पर धर्मनिरपेक्षता और भारतीयता के प्रति उनका विश्वास 'जीवन के अनुभव' से जन्मा था और इस्लामी विचारधारा से क्षीण नहीं बल्कि सुदृढ़ हुआ था।

मौलाना का अनुभव इस तथ्य को रेखांकित करता था कि आप इतिहास और भूगोल नहीं बदल सकते। समकालीन स्थिति को विषयनिष्ठ कोणों से विवेचित करके इस धर्मनिरपेक्ष और विश्वबंधुत्व के आदर्शों पर आधारित नव राष्ट्र की उनकी कल्पना न केवल तर्कसंगत है बल्कि जैसा हम देख रहे हैं एकमात्र सकारात्मक उपयोग्य उपाय है।

शिक्षक और शिक्षा

मौलाना ने विश्व की विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं का विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन किया था। विभिन्न साम्राज्यों और जातियों के विकास और पतन की गाथा का उन्होंने अध्ययन किया था। भारतीय परिदृश्य की उनकी समझ गहन और स्पष्ट थी।

वे कट्टरवाद के खिलाफ थे और हजारों वर्ष से अंधविश्वास और क्षुद्र मान्यताओं से दबे भारतीय मस्तिष्क को उन्नत, खुला और परिवर्तनशील बनाना चाहते थे। शिक्षा पर उनकी नीतियां, अंग्रेजों द्वारा उगाई फूट की फसल को नष्ट कर एक धर्मनिरपेक्ष विकासोन्मुख राष्ट्र बनाने का सफल प्रयोग थीं। आश्चर्य नहीं कि आज संस्थागत और गैर संस्थागत उद्यम फल-फूल रहे हैं जो ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं।

मौलाना समाज और व्यक्ति की तत्काल और सम्भावित मुश्किलात का एहसास रखते थे। जिन्दगी की इसी समझ और अंतरंगता ने उन्हें स्वतंत्रता आन्दोलन में कूदने के लिए प्रेरित किया था। स्वतंत्रता के उपरान्त भी शिक्षा विभाग को ही चुना क्योंकि शिक्षा ही पूरे समाज को एकजुट कर सकती थी–जीवन स्तर उठा सकती थी–राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू बना सकती थी–नीतियों के कार्यान्वयन को सम्भव बना सकती थी। पचास वर्ष के उनके सार्वजनिक जीवन में लोकमत की कसौटी पर खरे उतरे इन मूल्यों में मौलाना की अपार श्रद्धा थी। यही उनके व्यक्तित्व के सशक्त और व्यापक होने का कारण थी। यही कारण था कि उनके जीवन में 'हाइपोक्रेसी' नहीं थी और वे व्यापक रूप से सम्मानित और प्राकृतिक गुरू माने गए। मौलाना का यही व्यक्तित्व जब शिक्षा मंत्री के रूप में अवतरित हुआ तो धर्म-राजनीति-पत्रकारिता का विशाल अनुभव भंडार उनके साथ था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रशासन के मूल ढांचे को खड़ा करने के साथ ऐसी अभेद्य शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता थी जो समकालीन भ्रष्ट और संकीर्ण विचारधाराओं के आघात को सह सके और भविष्योन्मुख-विकासोन्मुख राष्ट्र को सशक्त और सर्वगुण सम्पन्न बना सके। मौलाना द्वारा प्रतिपादित शिक्षा नीति का उद्देश्य निम्नलिखित मुद्दों पर केन्द्रित था–

- सबको और समान शिक्षा
- दास मानसिकता से उबारने के लिए मनोवैज्ञानिक संरचना
- रूढ़िवादिता का विरोध
- वर्गों-धर्मो में सहयोग वह संयम
- मस्तिष्क और हृदय का समुचित विकास
- वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा और अंतर्राष्ट्रीय विचार प्रवाहों से सामंजस्य
- प्रौढ़ और महिला शिक्षा
- सामाजिक शिक्षा
- केन्द्रीय पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान

आज भी हम इन उद्देश्यों की पूर्ति से दूर हैं। हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक अशिक्षित जन हैं। लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। देश में भ्रष्टचार और अव्यवस्था का श्रेय इस बात को भी जाता है कि हम मौलाना के 'सबको शिक्षा' के सपने को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। मौलाना हमारी राजनीति को बराबरी, भाईचारे और स्वतंत्रता पर आधारित करना चाहते थे। देशीय संस्कृति और पाश्चात्य विचारों के असामंजस्य को सकारात्मक रूप से खत्म करना चाहते थे। वे विज्ञान के विस्तार से गरीबी और घृणा हटाना चाहते थे, जागरूकता लाना चाहते थे। वे हमारी शिक्षा नीति में सामाजिक शिक्षा के प्रणेता थे जो पर्यावरण से तारतम्य, नागरिकता के कर्तव्य, सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बोध, शासन में रुचि व भागीदारी सिखाती है।

उनका विचार था कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद हर विद्यार्थी दो साल तक अध्यापन करे। कैसा अनमोल विचार है जो अगर प्रयोग में लाया जाए तो देश की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। वे अध्यापकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के भी हिमायती थे ताकि यह एक ऐसा व्यवसाय बन सके जिसमें जनता रुचि ले।

वे जन-जागरण के लिए रेडियो-फिल्म आदि के प्रयोग के हिमायती थे ताकि हर वर्ग, हर क्षेत्र में समान और सुलभ शिक्षा उपलब्ध हो। मौलाना विज्ञान के प्रयोग में सावधानी बरतने को कहते थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि विज्ञान को गरीबी और शोषण हटाने के लिए प्रयोग किया जाए, विनाशक हथियार और बीमारियां बनाने में न लगाया जाए। उनका यह भी विचार था कि विज्ञान से धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलता है। वे भारतीय निवृतिवाद की प्रवृति को समझते थे जिसने एक तरपऊ तो आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष छूने में सहयाता की तो दूसरी तरफ विकास में बाधा बनी। उन्होंने शिक्षा से क्रियाशीलता बढ़ाने पर बल दिया।

उपसंहार

विश्व शांति और बंधुत्व के महान नायक मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे देश के इतिहास और वर्तमान का अभिन्न अंग हैं। विभिन्न विषयों पर उनके विचार व नीतियां हर काल में अपना अनोखापन और व्यवहारिकता लिए हमारे मार्गदर्शन के लिए सर्वथा अनुकरणीय है। धर्मनिरपेक्षाता और राष्ट्रीयता पर उनके विचार हमारी एकता-अखण्डता का धरातल है।

विश्व बंधुत्व का संदेश देते हुए वे युद्ध का तिरस्कार करते थे। वे कहते थे "युद्ध का केवल एक ही फल होता है, और वह है बदले और घृणा की भावना को प्रबल बनाना।"

राष्ट्रीय एकता के प्रति मौलाना के योगदान को रेखांकित करते हुए स्व. डॉ. राधाकृष्णन ने कहा था "हम सबके लिए यह जान लेना अनिवार्य है कि विघटनोन्मुख वर्तमान स्थिति में भारत की प्रगति में सबसे प्रमुख योगदान, देश के संगठन और राष्ट्रहित के सम्मुख अन्य आकांक्षाओं को नजरअंदाज करना है। हमने यह पाठ मौलाना से सीखा है।"

मौलाना को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके विचारों को अपनी नीतियों और आचरणों में आत्मसात करें और कर्मठता से उनके दिखाए रास्ते पर चलकर भारत को एक स्वर्णिम भविष्य का अधिकारी बनाएं।

'जय हिन्द'

संदर्भ ग्रन्थ

1. आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ादः *'इण्डिया विन्स फ्रीडम'*, ओरियन्ट लॉन्गमैन्स प्राइवेट लिमिटेड
2. उमर, मुहम्मदः *'भारतीय संस्कृति का मुसलमानों पर प्रभाव'*, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
3. कार्लेकर, हिरन्मय (एडीटेड): *'इन्डिपेंडेन्ट इन्डिया द फर्स्ट फिफ्टी इयर्स,'* भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, दिल्ली
4. कोठारी, रजनीः *'भारत में राजनीति'*, ओरिएण्ट लांगमैन लिमिटेड
5. चोपड़ा, डॉ. पी.एन.: *'मौलाना आज़ाद–स्पीचेज़ एण्ड स्टेटमेन्ट्स'*, रिलायन्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
6. डगलस, इयान हैंडरसनः *'अबुल कलाम आज़ाद, एन इन्टलैकचुअल एण्ड रिलीजियस बायोग्राफी'*, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली
7. नारायणन, के.आर.: *'इमेजेज़ एण्ड इनसाइट्स'*, एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
8. नैयर, कुलदीपः *'इण्डिया हाउस'*, बाइकिंग, थैंग्विन इण्डिया लिमिटेड
9. बार्बरा क्रोसेः *'इण्डिया–फेसिंग द ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी'*, इण्डियाना यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्लूमिंगटन, इन्डियाना पोलिस
10. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रकाशितः *'इण्डियाज़ मौलाना'*, खण्ड 1 व 2
11. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रकाशितः *'इमाम-उल-हिन्द, शताब्दी स्मारक ग्रन्थावली, खण्ड-3'*
12. रिक्टर, जस्टस व वाग्नर, क्रिश्चियनः *'रीजनल सिक्योरिटी, एथिनसिटी एण्ड गवर्नन्स'*, मनोहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली
13. सिंह, डॉ. नामवरः जनसत्ता, 30 जुलाई, 99
14. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, प्रकाशन विभागः *'स्पीचेज़ ऑफ मौलाना आज़ाद 1947-1955'*

15. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, प्रकाशन विभागः *'मौलाना आज़ाद ए होमेज'*

16. शैदाई, शम्सुल हकः *'मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सम पर्सनल ग्लिम्पसेज़',* एकेडमिक पब्लिशर्स, ढाका, बांग्लादेश

17. हार्डी, पीः *'द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इण्डिया',* कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज

18. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट–1999

मौलाना आज़ाद और समकालीन संदर्भ

फरहत अली

'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी'
(अर्थात माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है)

मुसलमानों के लिए देशभक्ति को एक धार्मिक कर्तव्य बताते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संस्कृत की इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है। उनका धर्म ज्ञान आसाधारण था। वह न केवल इस्लाम के प्रतिभाशाली विद्वान थे बल्कि वह तुलनात्मक धर्म की भी गहरी समझ रखते थे। समकालीन राजनीतिक घटनाओं पर उनकी कड़ी दृष्टि थी तथा आने वाले दशकों में भारतीय उपमहाद्वीप में उभरने वाली तस्वीर का आभास उन्होंने पहले ही कर लिया था। उनके द्वारा दी गई प्रेरणा बौद्धिक भी थी और भावनात्मक भी। 1912 में मौलाना आज़ाद ने अल-हिलाल नामक साप्ताहिक पत्रिका का सम्पादन प्रारम्भ किया जिसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में नई चेतना जागृत करना था। अल-हिलाल ने एक साथ दो संदेश प्रसारित किये। एक संदेश था इस्लाम का और दूसरा भारतीय स्वतंत्रता का। अल-हिलाल के माध्यम से मौलाना आज़ाद मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि जेहाद (धर्मयुद्ध) में प्रत्येक वह प्रयास सम्मिलित है जो सत्य और मनुष्य को दासता और अत्याचार के बंधन से मुक्त कराने के लिए किया जाए। आज जो लोग देश के कल्याण और स्वाधीनता के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं वह विश्वास कीजिए जेहाद करने वाले हैं। एक अन्य स्थान पर मौलाना आज़ाद लिखते हैं– *'स्वाधीनता प्राप्ति के लिए हर प्रकार की चेष्टा करना मुसलमानों का कर्तव्य होना चाहिए और उनके धार्मिक विश्वासों के अनुसार उन्हें उस समय तक निश्चित नहीं होना चाहिए जब तक वह संसदीय सरकार स्थापित न कर ले।'*

'अल-हिलाल के माध्यम से मौलाना आज़ाद ने मुसलमानों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। इसका भारतीय मुसलमानों पर बहुत असर पड़ा और 1919 के आते-आते हिन्दुओं और मुसलमानों में सौहार्द का इतना स्वस्थ वातावरण बन गया था कि दिल्ली और कलकत्ता के मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों को भी जलसों में शरीक होने के लिए मस्जिदों में आने की इजाज़त दे दी थी। दिल्ली के मुसलमानों ने स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित करके जामा मस्जिद में तकरीर भी कराई। इसके विरोध में कई समाचार पत्रों में ब्रिटिश शासन के इशारे पर आवाज उठाई गई क्योंकि उन्हें हिन्दू-मुस्लिम एकता पसंद नहीं थी। मौलाना आज़ाद ने इस आपत्ति के जवाब में एक लेख लिखा जिसमें गैर-मुस्लिमों के मस्जिदों में प्रवेश को जायज साबित किया। यह लेख मई/जून 1919 के 'मआरिफ़' में प्रकाशित हुआ था।

अल-हिलाल का जीवन संदेश

अल-हिलाल के माध्यम से मौलाना आज़ाद ने जो शान्ति संदेश प्रसारित किया वो आज भी साम्प्रदायिकता की समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। उन्होंने लिखा कि *'यदि हम सच्चे मुसलमान होगें तो हमारे हाथ में कुरान होगा और जिस हाथ पर कुरान का अंकुश होगा वह बम का गोला या रिवाल्वर नहीं पकड़ सकता। इस्लाम ने हमें स्वतंत्रता प्रदान करने और उसे प्राप्त करने दोनो बातों की शिक्षा दी है।... यदि इस्लाम की बतलाई हुई राजनैतिक पद्धति हमारे सामने होगी तो हम एक शक्तिशाली समूह होगें, निर्भीक और साहसी होगे क्योंकि हम ईश्वर के अतिरिक्त किसी से नहीं डरेगें हमारा मार्ग सुस्पष्ट होगा और हम संशयग्रस्त नहीं होंगे इसीलिए हमारी कार्यनीति भी एक होगी और उसकी अभिव्यक्त की भाषा भी एक होगी। हम आक्रोश में भी आएंगें किन्तु हमारा अक्रोश और हमारा अन्दोलन कानून*

और शान्ति की परिधि में होगा क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि उत्पात मत करो'।

हिन्दू-मुस्लिम एकता

मौलाना आज़ाद का अटूट विश्वास था कि सभी धर्मो का उद्देश्य विभाजित लोगों को एक सूत्र में बांधना होता है। उन्होंने कहा कि– *मानव एकता सभी धर्मों का एक मूलभूत उद्देश्य है प्रत्येक पैगम्बर ने यह संदेश दिया कि मानव जाति वास्तव में एक जाति और एक समुदाय है तथा उन सबका एक ईश्वर है... परन्तु यह एक विचित्र बात है कि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों ने इस संदेश की इतनी उपेक्षा की कि हर एक देश, हर एक समुदाय तथा हर एक जाति ने अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने का संकल्प किया और धर्म के नाम पर गुट बना लिए'।*

आज साम्प्रदायवाद तथा जातिवाद की समस्या के संदर्भ में मौलाना आज़ाद की यह टिप्पणी अत्यन्त महत्वपूर्ण है उन्होंने धार्मिक एकता तथा मानव जाति की एकता की शिक्षा देने का साहस उस समय किया जब धर्म के कट्टरपंथी लोगों ने मानव को मानव से अलग करने के लिए धर्म का सहारा लिया और राष्ट्र को अन्य राष्ट्र से अलग रखने के लिए राष्ट्रवाद के सिद्धांतों का प्रयोग किया।

धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र-निर्माण

मौलाना आज़ाद धर्म-निरपेक्षता को राष्ट्र निर्माण की प्रमुख आधारशिला मानते थे। वह हमेशा इस बात पर बल देते थे कि भारत एक ऐसा देश है जो सौहार्द के स्तम्भों पर खड़ा रह सकता है इसीलिए धर्म निरपेक्षता की सुरक्षा की जानी चाहिए। मौलाना आज़ाद के यह विचार आज भी प्रासंगिक हैं। साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद आज भारतीय राजनीति

का सबसे बड़ा अभिशाप बन चुकी है जो अन्दर ही अन्दर देश की जड़ें खोखली कर रही है। इसने संकीर्ण विचारधारा को प्रोत्साहन देकर कई बार भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर हमला किया और धार्मिक सहिष्णुता तथा सौहार्द की भावना को कमजोर करने का प्रयत्न किया। संकीर्ण विचारधारा पर प्रहार करते हुए मौलाना आज़ाद ने एक बार कहा था—

'राष्ट्र की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा संकुचित मानसिकता होती है' यह हमारा कर्तव्य है कि हम स्वतंत्रता के इस नये युग में जो अभी अभी प्रारम्भ हुआ है इस बीमारी से मुक्त रहें। राष्ट्रीय जीवन के स्वस्थ विकास के लिए इससे खतरनाक और कोई बीमारी नहीं है। यह बीमारी हमारे विचार और कार्य के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। कलाकार की भांति यह छद्म वेश में छल-कपट करती है। धर्म के क्षेत्र में यह अंधविश्वास के रूप में दिखायी पड़ती है और कट्टरवादिता के नाम पर हमें धोखा देती है। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में यह संकुचित धारणाओं की ओर हमें प्रेरित करती है। हमें इन बनावटी नामों के धोखे में आना शोभा नहीं देता'

संयुक्त राष्ट्रीयता के पक्षधार

मौलाना आजाद का मानना था की भारत को संयुक्त राष्ट्रीयता की आवश्यकता और यदि देश में एक ओर मलेच्छ और दूसरी ओर काफिर की अवाजें उठती रहेगी तो धार्मिक सहिष्णुता का उत्पन्न होना असम्भव है और धार्मिक सहिष्णुता के बिना एकता स्थापित नहीं हो सकती।

दिसम्बर 1923 में जब हिन्दू—मुस्लिम मतभेद उच्च शिखर पर पहुंच चुके थे, मौलाना आजाद ने कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि *'हिन्दू—मुस्लिम एकता हमारे भवन की वह प्रथम आधारशिला है जिसके बिना न केवल हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता बल्कि हिन्दुस्तान की वह समस्त बातें जो किसी देश के जीवित रहने और*

उन्नति करने के लिए हो सकती हैं, नितांत निराधार कल्पना है। केवल यही नहीं कि इसके बिना हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं मिल सकती बल्कि इसके बिना हम मानवप्रेम के मूल सिद्धांत को भी अपने अन्दर उत्पन्न नहीं कर सकते। आज यदि एक देवदूत आकाश से उतर आए और कुतुब मीनार पर खड़ा हो कर यह घोषणा कर दे कि स्वराज्य चौबीस घंटो मे मिल सकता है बशर्ते हिन्दुस्तान हिन्दू-मुस्लिम एकता का आग्रह त्याग दे तो मैं स्वराज्य को छोड़ दूंगा किन्तु इस एकता को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि स्वराज्य मिलने में अगर विलम्ब हुआ तो यह हिन्दुस्तान की हानि होगी किन्तु यदि हमारी एकता जाती रही तो यह समस्त मानव जाति की हानि होगी।' इससे पूर्व 25 अगस्त 1921 को मजलिस खिलाफत आगरा के भाषण में उन्होंने साफ-साफ कहा कि– *'मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान के मुसलमान अपने बेहतरीन फर्ज अदा नहीं कर सकते जबतक वे इस्लाम के आदेशों के मुताबिक हिन्दुस्तान के हिन्दुओं से पूरी सच्चाई के साथ एकता और इत्तफाक न कर लें (अर्थात वह राष्ट्र की मुख्य धारा से पूरी तरह मिल जाए)* उन्होंने अपनी यह बात भी दोहराई जो उन्होंने अल-हिलाल के प्रथम अंक में कही थी–

'हिन्दुस्तान के 7 करोड़ मुसलमान हिन्दुस्तान के 22 करोड़ हिन्दू भाईयों के साथ मिल कर ऐसे हो जाए कि दोनो मिलकर हिन्दुस्तान की एक कौम और एक राष्ट्र बन जाए।'

राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति प्रेम

मौलाना आज़ाद चाहते थे कि भारतीय मुसलमान उर्दू के साथ-साथ हिन्दी भाषा का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। 1949 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि– *'हिन्दी साहित्य पर भारत के हिन्दुओं के समान मुसलमानों का भी अधिकार है और उसी प्रकार उर्दू भाषा पर मुसलमानों के समान*

हिन्दुओं का भी अधिकार है। क्योंकि उर्दू भाषा ने भारत में ही जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि दोनो समुदायों (हिन्दू तथा मुसलमान) ने हिन्दी और उर्दू की प्रगति में समान रूप से भाग लिया है। ब्रज भाषा में नवीन साहित्य का प्रारम्भ मुगलकाल में अकबर और जहांगीर जैसे सम्राटों के सरंक्षण में हुआ जिसमें मलिक मुहम्मद जायसी तथा अब्दुर्रहीम खान–ए–खाना जैसे प्रतिभाशाली साहित्यकारों ने हिन्दी साहित्य की रचना की। उन्होंने कहा कि मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि भारत का प्रत्येक मुसलमान दोनों लिपियां सीखे और इस प्रकार देश के सम्मुख एक उदाहरण प्रस्तुत करे।

शिक्षा नीति

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कई बार देश की शिक्षा प्रणाली पर बहस हो चुकी है कि भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की हो ताकि देश का सही विकास हो सके। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण करते ही मौलाना आज़ाद ने यह इच्छा प्रकट की कि भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय विषय बनाया जाए और इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाए। अगस्त 1951 में खड़गपुर इन्स्टीटयूट आफ टैक्नोलोजी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था– *'अपना पद सम्भालते ही मैने यह निर्णय लिया की देश में उच्च तकनीकी शिक्षा सम्बंधी सुविधाओं में इतना सुधार अवश्य कर लिया जाए कि हम अपनी तत्कालीन आवश्यक्ताओं को स्वयं पूरा कर सकें और हमारे अधिकांश युवकों को जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाना पड़ रहा है, देश में ही ऐसा प्रशिक्षण उपलब्ध हो। वस्तुतः यही मेरी आकांक्षा थी और आज भी मैं उसी दिन की प्रतीक्षा में हूं जब देश में तकनीकी शिक्षा का स्तर इतना ऊपर उठ जाएगा कि बाहर के देशों के लोग उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भारत आएंगें।*

मौलाना आज़ाद की समूचे भारत में समान शिक्षा पद्धति लागू करने की योजना आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मौलाना आज़ाद के शिक्षामंत्रित्वकाल में थी। उनका मानना था कि सामान शिक्षा प्रणाली से पूरे देश के लोगों के सोचने का ढंग भी समान होगा जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति पर काबू पाने में सहायता मिलेगी। लगभग पचास वर्षों पूर्व मौलाना आज़ाद जो काम शिक्षा जगत में करना चाहते थे अब उसे देश की नई शिक्षा नीति में स्थान मिला है। मौलाना आजाद शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे क्योंकि वह मानते थे कि भविष्य में विकास की सभी योजनाएं देश के मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करेंगी। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था तथा दूरदर्शिता पर आधारित था।

साम्प्रदायिक राजनीति का विरोध

मौलाना आजाद सम्प्रदाय पर आधारित राजनीति के विरोधी थे क्योंकि उनका मानना था कि इससे राष्ट्रीय एकता की भावना मँजबूत नहीं हो सकती। दिसम्बर 1947 में अपने लखनऊ अधिभाषण में उन्होंने मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए कहा– *'आप साफ दो टूक फैसला करें कि राजनीति में कोई मुस्लिम मजलिस अथवा मुसलिम संगठन साम्प्रदायिक आधार नहीं बनने देंगें और किसी भी संगठन के उद्देश्य पर साम्प्रदायिकता की परछाई भी नहीं पड़ने देंगें। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न संगठनों को अपने सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक अधिकारों की रक्षा की चिन्ता होनी चाहिए। किन्तु जिन संगठनो का कोई राजनीतिक उद्देश्य है उनका साम्प्रदायिक आधार अर्थात यह मुसलमान है, यह हिन्दू है, यह सिख है, नहीं होना चाहिए।'* इससे यह जाहिर होता है कि मौलाना आज़ाद ने यह पहले ही समझ लिया था कि साम्प्रदायवाद पर आधारित राजनीतिक दल राष्ट्रीय

एकता की भावना को मजबूत नहीं होने देंगें। वह धार्मिक आधार पर बने राजनीतिक दलों के विरूद्ध थे। उनकी यह दूरदर्शिता आज भी महत्वपूर्ण है। आज भी धर्म को आधार बना कर राजनीति की जा रही है। आज भी धर्म के नाम पर कई संगठन साम्प्रदायिक राजनीति में सक्रिय हैं। यदि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है तो इस प्रकार की राजनीति का परित्याग करना पड़ेगा जैसा कि मौलाना आज़ाद ने सुझाया था।

द्विराष्ट्र सिद्धान्त का विरोध

'सितारे टूट गये लेकिन सूरज तो चमक रहा है—उससे किरणे मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजाले की सख्त जरूरत है।

यह पंक्तियां मौलाना आजाद के उस प्रसिद्ध भाषण का एक अंश है जो उन्होंने 23 अक्टूबर 1947 को दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए दिया था। यह वह समय था जब भारत का विभाजन हो चुका था और हिन्दू मुस्लिम कटुता अपने शिखर पर थी। देश के कई स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हो चुके थे। मुसलमान दुविधा में थे कि वह भारत को चुने या पाकिस्तान चले जाएं। ऐसे समय में मौलाना आज़ाद अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए आगे आते हैं और मुसलमानों का आह्वान करते हैं कि वे भारत में ही रहें और इसी को अपना देश समझे क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों पर जो विपत्ति आयी है वह निश्चय ही मुस्लिम लीग के भ्रामक नेतृत्व की भंयकर गलतियों का ही परिणाम है। उन्होंने क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि— *'तुम्हे याद है मैंने तुम्हें पुकारा तुमने मेरी जीभ काट ली, मैंने कलम उठाया तुमने मेरे हाथ काट दिये, मैंने करवट लेनी चाही तुमने मेरी कमर तोड़ दी, यहां तक कि पिछले सात वर्षों में जब कटु राजनीतिक खेल अपने चरम उतकर्ष पर*

था मैंने तुम्हे प्रत्येक खतरे के संकेत से बचाना चाहा किन्तु तुमने मेरे आह्वान को ठुकरा दिया'

भारतीय मुसलमान जो देश के विभाजन से टूट गऐ थे उनमे आत्मविश्वास पैदा करने और राष्ट्र निर्माण की भावना पैदा करने के उद्देश्य से उन्होंने कहा कि–*'मैंने हमेशा कहा और आज फिर कहता हूं कि दुविधा का मार्ग छोड़ दो,* आशंकाओं से हाथ उठा लो और अनुचित कर्मों का त्याग कर दो। उन्होंने आगे कहा कि– *'तुम्हारे पास ऐसी ज्वलन्त चिंगारी विद्यमान है कि यदि ठीक से हवा दो तो हजारों अग्नि कुण्ड प्रज्जवलित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जा कर बसने का विचार पलायन है उस पर विचार करो, अपने मन को सुदृढ़ बनाओ और अपने मस्तिक में सोचने की क्षमता उत्पन्न करो और फिर देखो कि तुम्हारे यह निर्णय कितने उतावलेपन से किये गए हैं आखिर कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। ... आओ प्रण करो कि यह देश हमारा है, हम इसके लिए हैं।*

मौलाना आज़ाद की दूरदर्शिता आज बिल्कुल सही साबित हुई है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान आज भी मुहाजिरों की जिन्दगी गुजार रहे हैं। जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवाने में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया वही आज पाकिस्तान में द्वितीय श्रेणी के नागरिक हो गये। उनकी भाषा उर्दू के साथ भेदभाव हो रहा है और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मुहाजिर कौमी आन्दोलन चलाने को विवश होना पड़ा।

भारत के विभाजन से पूर्व अप्रैल 1946 में मौलाना आज़ाद ने एक प्रैस वक्तव्य जारी करके मौ. अली जिन्ना के द्वि–राष्ट्र सिद्धांत की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यदि यह बात सिद्ध कर दी जाये कि पाकिस्तान की योजना किसी प्रकार से भी मुसलमानों के लिए लाभदायक हो सकती है तो मैं स्वयं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाऊंगा और दूसरों से भी स्वीकृत कराने के लिए काम करूंगा। किन्तु सच्चाई यह

है कि अगर मैं मुसलमानों के साम्प्रदायिक हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना का निरीक्षण करूंगा तो मुझे इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि यह उन्हें किसी भी प्रकार से लाभान्वित नहीं कर सकती या उनकी उचित आशंकाओं का शमन नहीं कर सकती। मौलाना आज़ाद का मानना था कि विभाजन से भारतीय मुसलमान औद्योगिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जाएंगे और छोटी-छोटी अल्पसंख्यक इकाईयों के रूप में पूरे देश में बिखरे होंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान में उनकी स्थिति मार्मिक और कमजोर हो जायेगी। पाकिस्तान में भारत से गये मुसलमानों का बहुमत कहीं भी नहीं होगा अतः पाकिस्तान योजना मुसलमानों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं करती। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान का नागरिक होने के नाते न तो भारत में उनका स्तर सही होगा और न ही संसार के किसी भी मामले में वह भारत संघ राज्य की तरह एक बड़े राज्य का नागरिक होकर भाग ले सकेगा।

मौलाना आजाद की भविष्यवाणी आज बिल्कुल सही साबित हो रही है। भारतीय मुसलमानों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन आज किसी से छिपा नहीं है। आज भारतीय मुसलमानों का सही नेतृतव करने वाला कोई नहीं है। अधिकांश मुस्लिम नेता केवल मुसलमानों के वोट की राजनीति कर रहे हैं और उन्हें भावनात्मक मुद्दो में उलझाने रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज भारतीय मुसलमानों को मौलाना आजाद जैसे नेताओं की आवश्यकता है जो उनका सही मार्गदर्शन कर सके। मौलाना आजाद ने 'इण्डिया विन्स फ्रीडम' में पाकिस्तान के धार्मिक आधार पर आपत्ति करते हुए लिखा था कि– *'यह सुझाव देना इन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है कि धार्मिक साम्यता उन क्षेत्रों के एक सूत्र में बांध सकती है जो भौगोलिक, आर्थिक, भाषायी तथा सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्न है'।* बंग्लादेश की स्थापना तथा पाकिस्तान के जातीय दंगो ने मौलाना आज़ाद के इस तर्क की पुष्टि करके द्वि–राष्ट्र का खोखलापन साबित कर दिया है।

शिक्षा एवं धर्म पर मौलाना आज़ाद के विचार

मौलाना आज़ाद का मानना था कि भारत की वर्तमान कठिनाईयां भौतिकता के कारण नहीं बल्कि धार्मिक कट्टरपन के कारण उत्पन्न हुई हैं। इस समस्या से निपटने के लिए मौलाना आज़ाद शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक शिक्षा को भी सम्मिलित करना चाहते थे ताकि बालक भ्रामक धर्मिक विश्वास से प्रभावित न हो और उसके मस्तिष्क का सही विकास हो सके। इस बात से साबित होता है कि मौलाना आज़ाद धार्मिक शिक्षा के विरोधी नहीं थे। वह कहते थे कि राष्ट्रीय शिक्षा में धार्मिक शिक्षा के समावेश से विद्यार्थियों में नैतिक तथा मानवतावादी विचारों का उदय होगा। उन्होंने कहा कि– *'एक धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक राज्य के लिए शिक्षा व्यवस्था भी धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। इसे राज्य के समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान प्रकार की शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए।*

1948 में एक बहस में हिस्सा लेते हुए मौलाना आज़ाद ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योजना सबको अनिवार्य शिक्षा दिलाने हेतु बुनियादी शिक्षा की योजना है उन्होंने यह भी कहा था कि इस योजना के पूर्ण क्रियान्वयन में लगभग 40 वर्षों का समय लगेगा। किन्तु यह खेद का विषय है जिस योजना को चालीस वर्षो में पूरा करने का सपना देखा गया था वह 50 वर्षों में आधी भी पूरी नहीं हो सकी और देश में आबादी के साथ-साथ निरक्षरता बढ़ती रही।

भारतीय विदेश नीति में मौलाना का योगदान

भारत की विदेश नीति में मौलाना आज़ाद के योगदान पर बहुत कम लिखा गया है। अन्य देशों में चल रहे स्वतंत्रता संग्रामों में उनकी गहरी रुचि थी और उन्होंने इस प्रकार के आन्दोलनों को भारत का पूर्ण

समर्थन दिया था। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा था कि– *'भारत हर उस राष्ट्र का स्वागत करता है जो न्याय और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत है और प्रत्येक उस राष्ट्र पर खेद प्रकट करता है जो इस मार्ग में अपने साथियों से पीछे है।'*

इससे स्पष्ट है कि मौलाना आज़ाद विश्व के गुलाम राष्ट्रो की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के पक्षधार थे। आज भी भारत की यही विदेश नीति है। निर्गुट आन्दोलन की स्थापना करके भारत ने विकासशील देशों को यह संदेश दिया है कि बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रो पर मनमानी नहीं कर सकते। उनका कहना था कि गुलाम राष्ट्रो में न तो कोई आकांक्षा होती है और न ही कोई इच्छा। इसी प्रकार नवम्बर 1956 में यूनेस्को के अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए मौलाना आज़ाद ने विश्व में चल रहे शीतयुद्ध पर अपने विचार सशक्त ढंग से व्यक्त किये। उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम सुझाये जिनके द्वारा युनेस्को विश्व बन्धुत्व के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सके। उन्होंने कहा कि– *'आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा अन्तर्विरोध यह है कि यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र शान्ति का इच्छुक है और उसकी बात करता है किन्तु लगभग सभी सरकारे शान्ति बनाये रखने की तुलना में युद्ध की तैयारी पर कहीं अधिक धन व्यय करती हैं।'*

मौलाना आजाद के विचार तथा आदर्श समकालीन समस्याओं को समझने तथा उनका निराकरण करने के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। आवश्यकता केवल इन विचारों को प्रचारित करने की है। स्वाधीनता की पहली वर्षगांठ पर मौलाना आज़ाद ने भारतवासियों को उनके कर्तव्यों का बोध इन शब्दों में कराया– *'हमने आजादी हासिल कर ली है लेकिन इस आजादी का सही तौर पर काम में लाना अभी बाकी है हमारा फर्ज है कि हम अपनी सारी ताकत इस दूसरे काम के लिए समर्पित कर दें। शान्ति, एकता, पारस्परिक विश्वास और देश प्रेम के बिना यह मुहिम पूरी नहीं की जा सकती।'*

मौलाना आज़ाद का उपरोक्त संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण

है जितना आजादी मिलने के समय था। यदि हमने आजादी का सही इस्तेमाल किया होता तो पिछले पचास वर्षों में भारत विकासशील से विकसित देश बन चुका होता। आज भी देश में निरक्षरता, गरीबी तथा बेरोजगारी जैसे अभिशाप हैं। जो देश भारत की आजादी के काफी समय बाद आजाद हुए उन्होंने कम समय में ही हम से ज्यादा तरक्की कर ली। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के विभिन्न वर्ग और समुदाय जो अभी भी अतीत के पूर्वाग्रहों को लेकर चल रहे हैं, मौलाना आज़ाद के आदर्शों से प्रेरणा लें। यह आदर्श आज भी विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में एक स्थायी आधार प्रदान कर सकते हैं।

मौलाना आज़ाद और समकालीन संदर्भ

कु. श्री वासुतकर

स्वाधीनता संग्राम तथा राष्ट्रीय पुनरूत्थान में जिन महापुरुषों का प्रमुख योगदान रहा है, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम को सदैव अग्रता मिलती रही है। देश की सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करनेवाले, बहुमुखी प्रतिभा के धनी मौलाना आज़ाद का महत्त्व इसलिए सन्दर्भ में भी उतने ही उपयोगी और प्रामाणिक सिद्ध हुए हैं। जीवन के हर उनके चिन्तन की उपयोगिता उनकी दूरदृष्टि का प्रमाण है!

केवल रजनीति नहीं, अपितु धर्म, संस्कृति, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में मौलाना का कार्य 'आदर्श' शब्द की व्याख्या प्रस्तुत करता है। आरंभ से ही मौलाना आज़ाद एक चिन्तनप्रिय व्यक्ति रहे। देश की परिस्थिति, विदेशी शासन और अपने हममजहबों को सही राह दिखाने की इच्छा से उन्होंने जनजागरण का एक दीर्घ अभियान शुरू किया। इस अभियान का आरंभ उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण करके किया। यदि इस प्रयास का उल्लेख हो तो 'अलहिलाल' तथा 'अलबलाग़' नामक पत्रिकाओं का नाम सबसे ऊपर आता है, जिनका प्रकाशन मौलाना आज़ाद ने किया था।

अपनी ओजस्वी वाणी और लेखनी के प्रभाव से आपने भारतीय मुसलमानों को संबोधित कर उन्हें राजनैतिक दासता से लड़ने का सही मार्ग दिखाया। उनके लेखों में मुसलमानों की भलाई, स्वतंत्रता, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति आदि मसलों को तरजीह दी जाती थी। इस्लाम के सन्देशों में सच्ची निष्ठा रखने वाले इस निडर सैनिक को अपनी स्पष्टवादिता के कारण अंग्रेज सरकार के जुल्म भी सहने पड़े। सत्य की शक्ति को उन्होंने अपनी आत्मा में बसाया था, जो उन्हें जनजागृति के लिए प्रेरित करती थी। मौलाना के विचारों में कहीं भी धार्मिक संकीर्णता नहीं, बल्कि एक

वैज्ञानिक दृष्टि झलकती है। नये विचारों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने में उनका कोई सानी नहीं था।

आधुनिक पत्रकारिता था 'मीडिया' यदि पत्रकारिता की इस पद्धति से सबक लें और केवल 'सत्य' में पूरी निष्ठा रखें, मौलाना आजाद का उद्देश्य सफल हो जाएगा। जिस संयम और प्रामाणिकता का एक पत्रकार में होना आवश्यक है... मौलाना उसकी प्रतिमूर्ति थे। मौलाना के लेख भी किसी अन्य पत्रकार की भांति समय की कमी और सामयिक आवश्यकताओं के ध्यान में लिखे गये थे, परन्तु उन्होंने इन सीमाओं में रहकर ही ऐसे अद्वितीय साहित्य का सृजन किया जिसकी उपयोगिता आज भी बनी हुई है। वे राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व समझने वाले पत्रकार थे।

भारत में हिन्दू-मुस्लिम एकता के महत्व को मौलाना आज़ाद ने पहचान लिया था। वे इस आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए मुसलमानों के अन्धविश्वासों एवं पुराने विचारों पर चोट करने से कभी नहीं चूके। वे चाहते थे कि भारतमाता की आज़ादी में मुसलमान भाईयों का योगदान भी अवश्य हो, ताकि भारतवर्ष का भविष्य इस कौम की निष्ठा पर कोई प्रश्नचिन्ह न अंकित कर पाए। वे मुसलमानों को भी मुख्य धारा में आकर अपने अस्तित्व को और सुदृढ़ बनाने की प्रेरणा देते रहे। परतंत्रता की बेड़ियों को एकता के आयुध से तोड़ने का सन्देश देते रहे।

मौलाना एक सच्चे मुसलमान थे जिन्होंने मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह करनेवालों का सदैव विरोध किया। वे किसी हाल में मुसलमानों को संख्या के आधार पर 'अल्पसंख्यक' मानने को तैयार न थे। अफ़सोस कि उनकी कोशिशों के बावजूद आज भी इस विषय को एक 'मुद्दा' बनाकर बहस की जाती है।

रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग काण्ड, जनरल डायर के आदि घटनाओं ने आज़ाद को राजनीति से अलग न रहने दिया। मौलाना ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरूआत ही श्री अरविन्द घोष और

श्यामासुन्दर चक्रवर्ती जैसे क्रान्तिकारियों के साथ मिलकर की, परन्तु गांधीजी से मिलने के बाद मौलाना के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। मौलाना आज़ाद ने ठीक अनुमान लगाया कि गांधीजी के कुशल नेतृत्व में ही स्वतंत्रता संग्राम को सही दिशा प्राप्त होगी। महात्मा भी उनकी सच्चाई, ज्ञान और दूरंदेशी के कायल थे। तभी तो मौलाना आज़ाद गांधीजी के निकटतम सहयोगियों में से एक थे।

मात्र 35 वर्ष की आयु में मौलाना आज़ाद ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्षपद संभाला। पार्टी और देश के निर्माण में जो समय अत्यधिक महत्वपूर्ण था, उस समय उन्होंने अध्यक्षपद की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। मौलाना स्वतंत्र विचारों के बुद्धिजीवी व्यक्ति थे जो राष्ट्र की भलाई के पक्ष में सख्त निर्णय लेने से कभी नहीं हिचकिचाते थे। कठिन से कठिन राजनैतिक समस्याओं को अपनी सूझबूझ से सुलझाने के कारण उनकी साख बढ़ी। निष्पक्ष एवं स्पष्टवादी मौलाना आज़ाद को समय-समय पर अपने सहयोगियों–अली बन्धु, जवाहरलाल नेहरू, देशबन्धु चित्तरंजन दास, सरदार पटेल, राजेन्द्र प्रसाद एवं राजगोपालाचार्य से सहयोग प्राप्त होता रहा।

कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मौलाना ने जिस योग्यता का परिचय दिया उससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत आज हर नेता को है। अलग-अलग लोगों के विविध विचारों का समन्वय कर वे जिस तरह मुल्क के हक में निर्णय लेते थे, उस सूझबूझ की आज के राजनैतिक परिवेश में नितान्त आवश्यकता है।

मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने का दावा करनेवाली तथाकथित पार्टियों का मौलाना ने खुल कर विरोध किया। इसके लिए न जाने उन्हें कैसी-कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर वे अपने निश्चय पर अड़िग रहे और साम्प्रदायिकता का सदैव धिक्कार किया... न्याय को ही प्राथमिकता दी।

दूसरे महायुद्ध के समय जब ब्रिटेन ने सर स्टॅफर्ड क्रिप्स को इस

प्रस्ताव के साथ भेजा कि यदि भारत इस युद्ध में सहायता करे तो युद्ध के पश्चात उसे कुछ शर्तों पर स्वतंत्र घोषित किया जा सकता है। मौलाना इस परिस्थिति के आधार पर हिन्दुस्तान को आज़ाद कराने की पूरी कोशिश की, किन्तु गांधीजी ने अहिंसा के सिद्धांत की रक्षा को प्राथमिकता दी। मौलाना ने इस निर्णय का सादर स्वीकार किया परन्तु अपनी स्पष्ट राय भी दर्ज की—कि अहिंसा हमारे लिए एक धर्म नहीं वरन् एक अस्त्र है, अतः इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए। विचारों की पारदर्शिता उसी व्यक्ति में देखी जा सकती है जिसका अन्तर्मन स्वच्छ हो।

भारतवर्ष की स्वतंत्रता का अमृत विभाजन के कटु विष के साथ प्राप्त हुआ। मौलाना आज़ाद ने विभाजन की त्रासदी को टालने के भरसक प्रयास किये, पर वे देश को इससे और इसके भयानक परिणामों से बचा न सके। जिस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए दिन-रात मेहनत की हो, उसे अपनी आंखों के सामने चूर-चूर होते देखकर मौलाना को कितनी मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा होगा... उसका तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है।

मौलाना आज़ाद लगभग 11 वर्षों तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात जिन क्षेत्रों में भारत सरकार को सावधानी से कदम बढ़ाना था, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था—शिक्षा! एक स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए नवयुवकों को योग्य मार्गदर्शन और सही सुविधाएं उपलब्ध करवाना कितना आवश्यक है ये उन्होंने जान लिया था। मौलाना ने पश्चिम का विरोध नहीं किया, किन्तु उसके अंधानुकरण का हमेशा विरोध किया। उन्होंने दोनों दृष्टिकोणों को मिलाकर एक नयी शिक्षा-पद्धति का विकास किया।

तकनीकी एवं अन्य विषयों में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करायीं। महिलाओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। ललित कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई अकादमियां स्थापित कीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उपयुक्तता को तो हम

देख ही रहे हैं। मौलाना ने सरकारी तौर पर धार्मिक शिक्षा को अनुचित माना क्योंकि वे धर्म की सच्ची आत्मा को पहचानते थे। वे जानते थे कि धर्म की आवश्यकता जीवन के हर पहलू में है, उसे शिक्षा-क्षेत्र तक सीमित नहीं करना चाहिए।

अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए 'इंडियन कौंसिल फॉर कलचरल रिलेशन्स' की स्थापना की गयी। सत्य है कि मौलाना आज़ाद के कार्यकाल में भारत संस्कृति-शिक्षा निखरकर सामने आयी! जिसके सुखद परिणाम आज भी दृष्टिगोचर होते हैं।

मौलाना आज़ाद जैसे व्यक्ति सदियों में एक बार इस धरती पर जन्म लेते हैं। ऐसी महान आत्माओं का काम समय की सीमाओं से नहीं बंधा होता, उनके विचार तो कालातीत होते हैं। इसीलिए मौलाना आज़ाद का हर वचन समकालीन परिदृश्य पर भी अपनी छाप छोड़ जाता है। आज़ाद का व्यक्तित्व आज भी इतना प्रभावी है कि उनके जिक्र के बगैर हमारे देश की मिली-जुली राष्ट्रीयता की महानता का उल्लेख अधूरा रह जाता है। मौलाना की स्मृति का शत्-शत् प्रणाम... जिन्होंने सदैव देश का गौरव बढ़ाया।

हज़ारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पर रोती है,
तब होता है चमन में एक दीदावर पैदा...